



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2019/फाल्गुन 9, 1940

No. 910]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/PHALGUNA 9, 1940

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का.आ. 1044(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019(2019 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव में लाने की तारीख 1 मार्च, 2019 तय करती है।

[फा.सं. 1-3/2017-ईई.4/आईएस.3]

मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2019

S. O. 1044 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 (1 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st March, 2019, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F.No. 1-3/2017-EE-4/IS-3]

MANEESH GARG, **Jt. Secy.**